न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– राजवीर सिंह चौधरी (आर.ए स.)

प्रकरण संख्या: 31/17

महेन्द्र पुत्र स्व. जगदीश जाति बिश्नोई निवासी चक 1 जीपीएम गोपालसर तहसील सूरतगढ

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ
2. बसन्ती देवी पत्नी स्व. जगदीश जाति बिश्नोई निवासी चक 1 जीपीएम , गोपालसर तहसील सूरतगढ
3. साहबराम पुत्र स्व. जगदीश जाति बिश्नोई निवासी चक 1 जीपीएम , गोपालसर तहसील सूरतगढ
4. सुमन पुत्री स्व. जगदीश जाति बिश्नोई निवासी चक 1 जीपीएम , गोपालसर तहसील सूरतगढ
5. रूकमा पुत्री स्व. जगदीश जाति बिश्नोई निवासी चक 1 जीपीएम , गोपालसर तहसील सूरतगढ

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता अपीलांट श्री भागीरथ बिश्नोई
2. अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 5 श्री विनोद कुमार बिश्नोई

निर्णय

दिनांकः 07.08.2019

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 5 के पिता/पति स्व. जगदीश पुत्र कानाराम जाति बिश्नोई निवासी गोपालसर के नाम से कृषि भूमि वाके चक 1 जीपीएम तहसील सूरतगढ के पत्थर न. 160/17 मु.न. 46 के किला न. 1/1 में 0.215 है0, 2 ता 4 में 0.759 है0, 6 ता 9 में 1.012 है0, 10/1 में 0.215 है0 11/1 में 0.215 है0 , 12 ता 19 में 2.024 हे0 20/1 में 0.215 है0 कुल खाता 4.655 है0 कमाण्ड मय खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा उनके स्वर्गवास होने के उपरांत अपीलांट एवं रेस्पो. संख्या 2 ता 5 के कब्जा काश्त में चली आ रही है। अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आश्य का प्रस्तुत किया कि उसके पिता जगदीश पुत्र कानाराम का स्वर्गवास दिनांक 02.3.2002 को हो गया है मृत्यु प्रमाण पत्र तथा ग्राम पंचायत गोपालसर द्वारा जायज वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर अपीलांट के पिता स्व. जगदीश के नाम से दर्ज भूमि का विरास्तन इंतकाल दर्ज किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र का आदलत मातहत उप तहसीलदार राजियासर स्टेशन ने निर्णय करते हुए जैर अपील आदेश पारित कर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जैर अपील भूमि जो अपीलांट के पिता जगदीश पुत्र कानाराम के नाम से दर्ज चली आ रही है, अपीलांट द्वारा उक्त अदालत मातहत में सूचना देनें के बावजूद स्व. जगदीश पुत्र कानाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद अदालत मातहत द्वारा गैरकानूनी रूप से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। चूंकि कानूनी स्थिति अनुसार एक मृतक व्यक्ति के नाम से भूमि दर्ज नहीं रह सकती, अगर भूमि मृतक के नाम रहेगी तथा रकम राजस्व, आबायना किससे वसूल किया जावेगा। इसलिए भी अदालत मातहत का आदेश निरस्त करने योग्य है। सामन्यतया भूमि का विरास्तन इंतकाल काश्तकार की मृत्यु के प्रमाण पत्र के व ग्राम पंचायत द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र/वारिस सूची के आधार पर ही दर्ज किया जाता है परन्तु जैर अपील भूमि के संबंध में अदालत मातहत ने अनावश्यक रूप्या से सक्षम सिविल न्यायालय से उतराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया जो मात्र रंजिशवश किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जावे।
2. अपील 31/17 पर दर्ज की गई रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया । अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता श्री भागीरथ बिश्नोई हाजिर हुए व रेस्पोडेंट की तरफ से अधिवक्ता श्री विनोद बिश्नोई उपस्थित आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।
3. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 5 के पिता/पति स्व. जगदीश पुत्र कानाराम जाति बिश्नोई निवासी गोपालसर के नाम से कृषि भूमि वाके चक 1 जीपीएम तहसील सूरतगढ के पत्थर न. 160/17 मु.न. 46 के किला न. 1/1 में

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ

Scanned by CamScanner

0.215 है0, 2 ता 4 में 0.759 है0, 6 ता 9 में 1.012 है0, 10/1 में 0.215 है0 11/1 में 0.215 है0, 12 ता 19 में 2.024 हे0 20/1 में 0.215 है0 कुल खाता 4.655 है0 कमाण्ड मय खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा उनके स्वर्गवास होने के उपरांत अपीलांट एवं रेस्पो. संख्या 2 ता 5 के कब्जा काश्त में चली आ रही है। अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आश्य का प्रस्तुत किया कि उसके पिता जगदीश पुत्र कानाराम का स्वर्गवास दिनांक 02.3.2002 को हो गया है मृत्यु प्रमाण पत्र तथा ग्राम पंचायत गोपालसर द्वारा जायज वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर अपीलांट के पिता स्व. जगदीश के नाम से दर्ज भूमि का विरास्तन इंतकाल दर्ज किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र का आदलत मातहत ने निर्णय करते हुए जैर अपील आदेश पारित कर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जैर अपील भूमि जो अपीलांट के पिता जगदीश पुत्र कानारामके नाम से दर्ज चली आ रही है, अपीलांट द्वारा उक्त अदालत मातहत में सूचना देनें के बावजूद स्व. जगदीश पुत्र कानाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद अदालत मातहत द्वारा गैरकानूनी रूप से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिय। चूंकि कानूनी स्थिति अनुसार एक मृतक व्यक्ति के नाम से भूमि दर्ज नहीं रह सकती, अगर भूमि मृतक के नाम रहेगी तथा रकम राजस्व, आबायना किससे वसूल किया जावेगा। इसलिए भी अदालत मातहत का आदेश निरस्त करने योग्य है। सामन्यतया भूमि का विरास्तन इंतकाल काश्तकार की मृत्यु के प्रमाण पत्र के व ग्राम पंचायत द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र/वारिस सूची के आधार पर ही दर्ज किया जाता है परन्तु जैर अपील भूमि के संबंध में अदालत मातहत ने अनावश्यक रूप्या से सक्षम सिविल न्यायालय से उतराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया जो मात्र रंजिशवश किया गया है। अपीलांट तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 5 द्वारा न्यायालय सीविल न्यायाधीश सूरतगढ में वाद पत्र प्रस्तुत कर स्व. जगदीश पुत्र कानाराम के उतराधिकारी के उतराधिकारी घोषित करवाने हेतु वाद संख्या 125/2015 पेश किया। प्रकरण में माननीय सिविल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 02.3.2016 को डिक्री जारी करते हुए अपीलांट तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 5 को स्व. जगदीश पुत्र कानाराम के उतराधिकारी घोषित कर दिये है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

4. अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में कथन किया कि यदि अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तो हमे कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तोवजों का गंभीरता से अवलोकन किया एवं साथ ही उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। हमने माननीय सिविल न्यायालय के निर्णय की प्रति का अवलोकन किया जिसमें अपीलांट को जगदीश पुत्र कानाराम का उत्तराधिकारी माना है। रेस्पोंडेंट द्वारा भी अपील स्वीकार किये जाने कोई आपत्ति जाहीर नहीं की । अतः उक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उप तहसीलदार राजियासर, स्टेशन का निर्णय दिनांक 03.03.2015 अपास्त किया जाता है एवं पत्रावली उप तहसीलदार राजियासर, स्टेशन को इस आश्य के साथ रिमाण्ड की जाती है कि प्रकरण में पुनः सभी पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटया जावें । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner